

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोहनपुर, सोनारायठाड़ी, सारवाँ, पालोजोरी,
सारठ, मारगोमुंडा, करी, देवीपुर एवं देवघर

नामांकन की सूचना

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोहनपुर, सोनारायठाड़ी, सारवाँ, पालोजोरी, सारठ, मारगोमुंडा, करी, देवीपुर एवं देवघर में सितम्बर 2017 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में नामांकन हेतु इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से अनुसूची 'क' के अनुसार हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांक- 30.09.2017 संघ्या 5.00बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट से नोडल पदाधिकारी-सह-जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, पुरानदाहा, देवघर - 814112 के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

नामांकन हेतु व्यवसाय विवरणी:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोहनपुर, सोनारायठाड़ी, सारवाँ, पालोजोरी, सारठ, मारगोमुंडा, करी, देवीपुर एवं देवघर

क्रमांक	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	2	3	3	4	6
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोहनपुर	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोनारायठाड़ी	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सारवाँ	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालोजोरी	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सारठ	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष
6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मारगोमुंडा	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करी	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष
8	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवीपुर	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष
9	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवघर	विद्युत	01+01=02	21X02=42	दो वर्ष

उक्त प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु निर्धारित शर्तें एवं अहर्ताएं निम्नलिखित हैं:-

1. शैक्षणिक योग्यता- (DGT द्वारा निर्धारित)

(क) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली मैट्रिक के प्राप्तांक/मैरिट के आधार पर नामांकन नियमनुसार किया जायेगा।

2. आयु अहर्ता-

(क) 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।

(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।

आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वीं समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबधिक प्रमाण में अंकित जन्म तिथि ही वैध होगी।

3. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।

4. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षार्थियों को 50/- (पचास रु०) मात्र कौशन मनी अग्रधान राशि राशि के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या समान को जानबूझ कर तोड़ उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अंदर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जप्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर लिया जायेगा।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।

6. आरक्षण अहर्ता-

(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक- 7/नीति (आरक्षण)- 06/2001 का 10-8586/सूची, दिनांक- 21.09.11 के अनुसार रहेगा।

(ख) मैरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों का विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा बल्कि खुली गुणा-गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध माना जाएगा।

(ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, में स्वीकृत सीटों को 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है, अर्थात् कुल सीट-स्वीकृत + स्वीकृत सीट 30% अतिरिक्त सीट।

(घ) सुपरन्यूमरी सीट की एक-एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों के लिए (किसी भी वर्ग के लिए) आरक्षित है।

(ङ) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

7. आवसीय अहर्ता- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं

जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक सं०- 14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का 4650, दिनांक- 02.08.2016(संकल्प संख्या-3198 दिनांक -18.04.2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है।(उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त)द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8. जाति आधारित अहर्ता- नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से नोडल पदाधिकारी-सह-जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, पुरानदाहा, देवघर- 814112 के पते पर दिनांक- 30.09.2017 तक पहुँचा जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोडल पदाधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवघर
-सह-
जिला नियोजन पदाधिकारी
देवघर।

